राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड,जयपुर –302001

फोन,न.0141–2740203,2740684

ई–मेल–.............

ई–बिड

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राजफैड की गैस ऐजेंसी के उपभोक्ताओं को घरेलु सिलेण्डर वितरण कार्य हेतु ऑन–लाईन ई–बिड आमांत्रित की जाती है। निविदा की तिथि,समय शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु दिनांक 19.03.2021 से वैबसाईट **http:eproc.rajasthan.gov.in, www.rajfed.in** एवं **sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। संशोधन/शद्विपत्र भी इन्ही वैबसाईट पर दिया जायेंगा।

इंचार्ज गैस

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. जयपुर
4, भवानी सिंह रोड,जयपुर –302001

फोन,न.0141–2740203,2740684
ई–मेल–.............

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु परिवहनकर्ता/फर्मो एवं संवेदको की दर संविदा हेतु ई–बिड सूचना

वर्ष 2021–22 में शहर के घरेलु गैस आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण कार्य किया जाना है। इसके अन्तर्गत जयपुर मे विभिन्न ऐजेंसियों से उपभोक्ता तक घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस ऐजेंसी में गोदाम रखने हेतु परिवहन कार्य किया जाना है। इस कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्मो/परिवहनकर्ता/संवेदको द्वारा वितरण कार्य दर संविदा द्विप्रकृमी बोली(टू–बिड) प्रणाली से ऑनलाईन किया जाना है। इस हेतु ई–बिड आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2021 समयः 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जाने है। आवेदन पत्र का प्रारुप,वितरण कार्य का विवरण एवं कार्य की शर्ते तथा अन्य विवरण दिनांक 19.03.2021 से राजकीय पोर्टल **http:sppp.rajasthan.gov.in,http:eproc.rajasthan.gov.in** एवं राजफैड की वेबसाईट **www.rajfed.in** पर देखें। संशोधन/शुद्वि पत्र भी वेबसाईट पर दिया जावेंगा। आवेदन पत्र व शर्त उक्त वैबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है।

इंचार्ज(गैस)

Office	**RAJFED,JAIPUR**
Name	**Rajasthan Rajya Sahkari Kraya Vikraya Sangh Ltd-Gas Section**
Account No.	**912010033199149**
Bank Name	**Axis Bank Ltd.Jaipur**
IFSC Code	**UTIB0000010**
Barnch	**O-15,Green House, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur-302001**

ई–बिड से सम्बन्धित समस्त विवरण, शर्ते एवं बिड फॉर्म पोर्टल **http:sppp.rajasthan.gov.in, http:eproc.rajasthan.gov.in** एवं राजफैड की वेबसाईट **www.rajfed.in** पर उपलब्ध है।

इंचार्ज(गैस)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. जयपुर
4, भवानी सिंह रोड,जयपुर –302001
फोन,न.– 0141–2740203,2740684
ई–मेल–.............

Critical Dates

S.No.	Perticulars	Date
1	**Date of Publishing Notice inviting Bids And Bidding Document on State public Procurement Portal**	**19.03-2021**
2	**Date from which bidding document Will be provided From the Web site of R.R.S.K.V.S, Jaipur i.e.www.rajfed.in or can be downloaded from e-procurement portal or state public procurement portal**	**19.03.2021**
3	**Date upto which queries for clarification on bidding document can be sent to Managing director,rajfed-jaipur e-mail-----------**	**25.03.2021**
4	**Last date and time upto which bids can be submitted/uploaded on e-procurement portal website: www.eproc.rajasthan.gov.in**	**26.03.2021 3.00 PM**
5	**Date and time of opening of technical bid of Ragistered bidders**	**26.03.2021 4.00 pm**
6	**financial bid shall be open after evaliution of technical bid**	**To be declared later**

Signature of tha applicant
In acceptance of the above **incharge(Gas)**

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. जयपुर
4, भवानी सिंह रोड,जयपुर –302001

फोन,न.– 0141–2740203,2740684
ई–मेल–.............

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई–बिड हेतु

तकनीकी बिड

आवेदन पत्र के साथ तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु निम्नआवश्यक प्रपत्रों की (चैक लिस्ट) सूची

क्र.सं	विवरण	ई–बिड कवर
1.	घरेलू गैस सिलेण्डरों हेतु बिड सिक्योरिटी के संबंध में संलग्न पारिष्टि 'अ' पर निधारिंत घोषना पत्र रुपये 50.00 रु. के स्टाम्प पर संलग्न करना है।	कवर–ए
2.	बोली दस्तावेज का मूल्य 500.00 रु.**+** 18 प्रतिशत रु 90/– जी.एस.टी. कुल राशि 590.00 रु. का **RTGS/NEFT** के माध्यम से आर.आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में देय होगा।	कवर ए
3.	बिड प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 रू. का **RTGS/NEFT** के माध्यम से आर. आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में देय होगा।	कवर ए
4.	आयकर स्थायी खाता (पैन कार्ड) की फोटो प्रति।	कवर–ए
5.	जीएसटी पंजीयन की फोटो प्रति	कवर–ए
6.	आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी.की प्रति	कवर–ए
7.	ई.एस.आई के पजीयन की फोटो प्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति	कवर–ए
8.	बिजली के बिल की प्रति	कवर–ए
9 .	दो सम्मानित व्यक्तियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र	कवर–ए
10.	यदि साझेदार फर्म है तो साझेदारी प्रपत्र की प्रति एवं फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।	कवर–ए
11.	गैस वितरण हेतु स्वंय के साधन काविवरण (वाहन के पंजीकरण की फोटो प्रति) संलग्न करें।	कवर–ए
12.	बोली लगाने वाला सत्यनिष्ठ संहिता की अनुपालना एवं हित का विरोध नही होने का प्रपत्र (परिशष्ट–ब)	कवर–ए
13.	बोलीदाता की अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति	कवर–ए
14.	उपापन प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (परिशष्ट–स)	कवर–ए
15.	अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्ते (परिशष्ट–द)	कवर–ए
16.	जयपुर शहर की गैस एजेन्सीयों से उपभोक्ता तक सिलेण्डरों का विवरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस ऐजेन्सी गोदाम में जमा कराने हेतु घरेलु गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु परिवहन/वितरण की प्रस्तावित दरों का विवरण(पृथक–पृथक) (**BOQ**) पत्र	कवर बी
17.	वितीय प्रस्तावों की निर्धारित शर्तें (परिशष्ट–'क')	

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि. जयपुर

4, भवानी सिंह रोड,जयपुर –302001

फोन,न.0141–2740203,2740684
ई–मेल–.............

घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण हेतु ई–बिड के लिये आवेदन पत्र

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि,
जयपुर।

महोदय,

मैने/हमने गैस ऐजेन्सी से उपभोक्ता तक एवं खाली सिलेण्डर वापिस ऐजेन्सी गोदाम तक घरेलू गैस सिलेण्डर के परिवहन कार्य हेतु बिड के लिए आप द्वारा जारी किया गया आमंत्रण पत्र, दिशा–निर्देश एवं शर्तो (टर्म्स एंड कंडीशनस) को पढ व समझ लिये है। मै/हम इन सभी दस्तावेज की शर्तो को मानने के लिए बाध्य हूँ।/है। मैं/हम जयपुर शहर के लिए वितरण कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांकः

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)
फर्म/आवेदक का नाम एवं पता

ठेकेदार/परिवहनकर्ता/फर्म का विवरण

1— कारोबार का नाम :—

1— यदि आवेदनकर्ता एकाकी स्वामी

(सोल प्रोपराईटर है तो स्वामी का नाम पिता के नाम सहित) ....

2— यदि आवेदकर्ता अविभक्त हिन्दू परिवार है तो परिवार के कर्ता का नाम :

....

....

3— शैक्षणिक योग्यता

(प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें।) ....

2— यदि आवेदनकर्ता भागीदारी संस्था (पार्टनरशीप फर्म) है तो :

(अ) फर्म का नाम ....

(ब) रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम ....

(स) भागीदारी के नाम,पते ....

(भागीदारी के दस्तावेज,पार्टनरशिप डीड की फोटो स्टेट प्रतिलिपि संलग्न करें)

3— यदि आवेदनकर्ता सहकारी संस्था है तो :

पंजीयन के प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की प्रतिलिपि तथा इस कार्य के करने के अधिकार हेतु इस समिति के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जावें :—

4— गैस वितरण हेतु स्वंय के साधन का विवरण

(वाहन पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करें)

5— स्थानीय पता :—

1— डाक का पूरा पता(फोटो प्रति संलग्न करें) ....

2— दूरभाष/मोबाईल संख्या (कार्यालय) ....

(निवास)एस.टी.डी. (कोड सहित)

6— (अ) आयकर स्थाई खाता संख्या (पैन संख्या.) ....

(पैन संख्या की छाया प्रति संलग्न की जाए)

(ब) वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति(आवश्यक)

(स) जी.एस.टी. पंजीयन सख्या ....

(जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण —पत्र की छाया प्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की राशि की प्रति)

(द) ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन नम्बर
ई.एस.आई पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति

7– घरेलु सिलेण्डर की रु.1.00 लाख सुरक्षा राशि (अर्नेस्ट मनी) **RTGS/NEFT** के माध्यम से आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर को देय होगा एवं फोटो प्रति तथा निष्पादित प्रतिभूति कार्य निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

8– बिड हेतु आवेदन प्रपत्र मूल्य राशि 500.00 +जी.एस.टी. 18 प्रतिशत से 90.00 रू. कुल राशि 590.00 रू. का **RTGS/NEFT** के माध्यम से आर.आर.एस.के.वी. एस. जयपुर को देय होगा एवं फोटो प्रति जमा करानी होगी। एवं जयपुर एम.डी.आर.एस.एल की बिड प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 रू. **RTGS/NEFT** आर.आर.एस.के.वी.एस.जयपुर के पक्ष में देय होगा एवं फोटो प्रति अपलोड कर दी गई। बिड खालने के समय से पूर्व जमा करा दिया जायेगा।

नोट :1– नोटः– आप पर जो मद लागू हो,उस पर सही का चिन्ह लगाकर दरें अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर दे और जो लागू नही होती हों उसे काट दे। कृपया कोई भी कॉलम खाली न छोडें।

दिनांकः

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म/आवेदक का नाम एवं पता

<u>परिष्ठि– 'अ'</u>

<u>बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र</u>

दिनांकः

<u>बिड संख्याः</u>

——————

————————

हम घोषणा करते है कि :
आपकी नियम व शर्तो एवं बिड के साथ संलग्न बिड सिक्योरिटी घोषना पत्र अनुसार, इस बिड में शामिल शर्तो के अनुसार बिड़ सिक्योरिटी राशि निम्न कारणों से चुकाने की सहमति देते हैं –

(a) यदि बिड खुलने के पश्चात हमारे द्वारा बिड वापस लेने अथवा संशोधन करने पर।

(b) कार्यादेश जारी होने की निधार्रित अवधि में हमारे द्वारा करार पत्र निष्पादन नही कराने पर।

(c) निर्धारित अवधि में हमारे द्वारा माल की आपूर्ति में असहमत होना अथवा आई.ओ.सी.के जारी निर्देशों की पालना नही करना।

(d) कार्यादेश प्राप्त होने पर करार पत्र निष्पादन के साथ निर्धारित कार्य निष्पादन प्रति भूति जमा नही करानें पर।

(e) नियमानुसार संलग्न सत्यनिष्ठ संहिता का उल्लंधन/हित का विरोध नही होने का प्रमाण पत्र की पालना नही करने पर।

उपरोक्त के अतिरिक्त,राजफैड (गैस शाखा) द्वारा हमें किसी भी उपापन/आपूर्ति प्रक्रिया से अधिकतम 3 वर्षो के लिए बाहर/ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है एवं बिड सिक्योरिटी/निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र खत्म होगा, यदि–

1. यदि हम बिड में सफल नही होते है।
2. यदि करार पत्र अनुसार सफल बिड के रुप में कार्य संतुष्टि के आधार पर।
3. हमारी बिड अवधि खत्म होने के 30 दिन में।
4. उपापन/आपूर्ति बिड प्रक्रिया निरस्त होने पर।
5. बिड जमा कराने की तारीख से पूर्व,बिड वापस लेने पर,जबतक कि ऐसे बिड दस्तावेज वापस न लेने की सीमा निर्धारित हो।

हस्ताक्षर बिडदाता——————

नामः ————————

सीलः ———————— पद—————————— दिनांकः ——————————

परिष्ठि– 'ब'

Compliance with the Code of Intergrity and No Conflict of Intrest

Any person perticipating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to Obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of intrest,if any;and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or aby other county during the last three years or any debarment by any other procuring entity-

Conflict of interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities; contractual

obligations; or compliance with applicable laws and regulations ie. A Bidders may be consider to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the the Bid;or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the Disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this Does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise Participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bided or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the of the Goods, that are the subject of the Bid; Breach of code of Integrity by the bidder in case of breach of any provision of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case maybe, rajfed may take appropriation action in accordance with the Provision of sub section(3) of section IInd and section 46 under chapter VIth of thir Act

signature

परिष्ठि– 'स'

Grievance Redressal during Procurement Prosess

The designation and address of the First Appellate Authority is M.D. Rajfed,jaipur.

The designation and address of the Second Applellate Authority is Administractor Cooperative Societies Govt.of Rajasthan, jaipur,

(**1**) **filling an appeal**

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first Applellate Authority, as specified in th Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission,as the case may be,cleary giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

provided futher that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal Related to the matter of Financial Bids may be Filed only by a Bidder Whose technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para(1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal Filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by theorder passed by the First Applellate Authority, the Bidder

or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity Relating to the Following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;

(b) provision limiting participation of Biddered in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) form of Appeal

(a) An Appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the Appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority,as the case may be,in person or Through registered post or authorized representative.

(6) fee for filing appeal

(a) fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand,which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or

Banker's cheque of a Scheduled bank in india payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal,shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first Appellate Authority or second Appellate Authority as the case may be shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect document, relevant records or copies there of relating to be matter.

(c) After hearing the parties,perusal or inspection of Document and relevant recods or copies there of Relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) the order passed under souse(c) above shall also be Placed on the State Public Procurement Prortal.

signature

परिष्ठि– 'द'

परिवहन निविदा की शर्ते परिवहन निविदा की शर्ते

1. निविदा दिनांक 26.03.2021 को 3.00 बजे तक भरी जावेगी,एवं इसी दिन सायः 4.00 बजे खोली जावेंगी।
2. प्रत्येक परिवहनकर्ता के आवेदन फार्म के साथ घरेलू सिलेण्डर हेतु बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
3. बोली दस्तावेज का मूल्य 590 रु. का **RTGS/NEFT** आर.आर.एस.के. वी. एस. के पक्ष में तथा बिड प्रोसेसिंग फीस राशि रु.1000 का **RTGS/NEFT** आर.आर.एस.के. वी. एस. के पक्ष में जमा कराना होगा। स्वीकृत परिवहनकर्ता को अनुबन्ध के पूर्व घरेलू गैस सिलेण्डर की 100000/– रु. की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि **RTGS/NEFT** आर.आर.एस.के. वी. एस. जमा करानी होगी। जमा राशि पर राजफैड द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा।
4. किन्ही दो अलग–अलग सम्मानीय व्यक्तियों सें सत्यापित चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।
5. प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र के रुप में किसी गैस ऐजेन्सी का एक वर्ष का वितरण कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
6. प्रत्येक परिवहनकर्ता को हिन्दी में लिखने पढने का ज्ञान आवश्यक है।
7. प्रत्येक परिवहनकर्ता को नियुक्ति किये गये डिलीवरी मेन को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में वितरण कार्य करना होगा एवं राजफैड के द्वारा दिये गये परिचय पत्र एवं स्वंय का मोबाईल फोन साथ मे रखना होगा आई..ओ.सी.द्वारा निर्धारित वर्दी ,तोलने का कांटा,मोबाईल फोन एवं फॉयर इक्यूमेन्ट गाडी में डिलीवरी मैन के स्वयं के खर्चे पर रखना आवश्यक होगा।
8. डिलीवरी मैन द्वारा रखे गये कर्मचारी को इण्डियन ऑयल द्वारा निधारित वर्दी मे आना होगा तथा परिचय पत्र,कांटा एवं मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा एवं इसकी सूचना राजफैड को देनी होगी। राजफैड द्वारा इस सबंध में कोई भुगतान देय नही होगा।
9. निविदा आवेदन पत्र पर एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगानी होगी। जो कि राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करानी होगी।
10. यदि आवेदनकर्ता को किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी गलत कार्य हेतु आरोपित किया गया है अथवा ब्लैक लिस्ट किया गया है तो ऐसे व्यक्ति आवेदन नही

करें यदि करते है एवं तथ्य का राजफैड को पता चलता है तो सिक्योरिटी राशि जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

11. परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन 30 सिलेण्डर से अधिक घरेलू सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।
12. प्रत्येक परिवहनकर्ता को इण्डियन ऑयल तथा राजफैड के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशो की पालनाकी जानी होगी।
13. सिलेण्डर को पंजीकृत उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य के यहॉ लगाने पर एवं सुपुर्द करने पर प्रति सिलेण्डर 1000 रु. अर्थदण्ड देना होगा।
14. एक माह में तीन बार से अधिक उपरोक्त क्र.सं 12 एवं 13 के अनुसार गलती दोहराने पर अनुबन्ध समाप्त करने एवं सिक्योरिटी राशि जब्त करने का अधिकार राजफैड का होगा।
15. आई.ओ.सी द्वारा कभी भी जॉच करने पर किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर लगाये जाने वाले दण्ड को परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।(जैसे डम्पिग,कम तौल और लीकेज आदि) दण्डित राशि की वसूली में परिवर्तन करने का अधिकार राजफैड को होगा।
16. रसद विभाग अथवा आई.ओ.सी.एल.के अधिकारियों द्वारा पोईन्ट पर चैकिंग की जाने पर लगाई जाने वाली दण्डनीय शास्ती एवं अन्य कोई कार्यवाही के लिए भी परिवहनकर्ता उत्तरदायी रहेगा। ऐसे प्रकरणों मे शिकायत पाऐ जाने पर भविष्य के लिए राजफैड द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा। एवं सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी
17. संघ के गैस गोदाम से प्राप्त गये 14.2 किग्रा एल.पी.जी के भरे सिलेण्डर को पंजीकृत ग्राहकों को आपूर्ति कर खाली सिलेडर संघ के गोदाम मे सौपेंगे। तब तक परिवहनकर्ता द्वारा अपनी जिम्मेदारी में बतौर अमानत सुरक्षित रखें जावेंगें। सिलेण्डर गुम हो जाने पर परिवहनकर्ता से प्रति घरेलू सिलेण्डर रुपये 1700/= वसूल किये जायेंगं।
18. वितरण के लिये प्राप्त किये जाने वाले खाली एल.पी.जी सिलेण्डरो के नम्बर मिलाकर (चैक कर) प्राप्त किये जावेंगे एवं बदले में प्राप्त खाली सिलेण्डर के नम्बर लिखकर कार्यालय में सिलेण्डरों को जमा करवाते समय पर्ची व कूपन साथ में जमा करानी होगी।

19. राजफैड द्वारा जो रिफिल परिवहनकर्ता को दी जावेगी वह उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिवस गैस उपभोक्ता के सामने सील चैक करवाकर एवं गैस लीक/सही वजन की जॉच कराकर सही हालत में लगानी होगी अन्यथा खराब हालत में लगाने व देरी होने की स्थिति में होने वाली हानि की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

20. खाली सिलेण्डरों के नम्बर मिलान कर लिखकर गोदाम कीपर को संभलवाना होगा एवं गैस बिक्री की सम्पूर्ण राशि कार्यालय मे अगले दिन 11 बजे तक जमा करानी होगी। अन्यथा आगामी आपूर्ति जारी नही की जाएगी। जो कि जमा सिक्योरिटी राशि की सीमा तक होगी।राशि समय पर जमा न कराने की स्थिति में परिवहनकर्ता की जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी परिवहनकर्ता की ओर बकाया रह जाती है तो अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार वसूली की जावेंगी।

21. सिलेण्डर गोदाम से प्राप्त करने के पश्चात एक स्थान पर इक्टठे नही किये जावेंगे एवं प्रत्येक उपभोक्ता के निवास स्थान पर जाकर सिलेण्डर वितरण कार्य किया जावेगा।

22. पंजीकृत उपभोक्ता को सप्लाई देकर ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी,साथ ही प्राप्ति रसीद उपभोक्ता से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के प्राप्त कूपन संलग्न कर लौटाना होगा।

23. ब्ल्यू बुक मे प्रविष्टि अनिवार्य होगी यदि ब्ल्यू बुक में 3 प्रविष्टि नही पायी जाती है तो प्रत्येक के लिये 200 रु.अन्य शास्ती के अलावा वसूल किये जावेंगे। 24– सिलेण्डर सही स्थिति में यथा जॉच कर तौलकर उपभोक्ता के यहॉ अपने साधन से सप्लाई किये जावेंगे व तौलने के लिये तुलाई हेतु इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित उपकरण परिवहनकर्ता का स्वंय का होगा।

25. परिवहनकर्ता के द्वारा स्वंय का एवं परिवहन कार्य नियुक्त किये गये डिलीवरी मैन को नाम एवं पता चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो एवं मोबाईल नम्बर आदि का विवरण दिया जाना होगा।

26. प्रत्येक ठेकेदार को आंवंटित क्षेत्र में बदलाव का अधिकार गैस इंचार्ज के विवेक पर निर्भर होगा।

27. गैस वितरण का कार्य आई.ओ.सी.एल तथा राजफैड–द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुरुप तथा निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।

28. सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन पर इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित रंग होगा एवं शब्द अंकित रहेगें, जो अपने खर्चे पर कराना होगा गाडी का निर्धारित समय पर पोल्युशेन एवं फिटनेस जॉच करवाना अनिवार्य होगा।
29. परिवहन कार्य हेतु प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक राजफैड का रहेगा।
30. परिवहन कार्य हेतु किये जाने वाले अनुबंध की किन्ही शर्तो की पालना में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य क्षेत्र जयपुर होगा। सिक्योरिटी राशि वाद का निपटारा होने पर ही लौटायी जायेगी।
31. राजफैड द्वारा परिवहन कार्य के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य लागू करों की कटौती की जावेंगीं।
32. यदि परिवहनकर्ता को गैस वितरण मे अनियमितता करने पर इण्डियन ऑयल,जिला रसद अधिकारी,पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में होने वाली कानूनी कार्यवाही के लिये परिवहनकर्ता स्वंय जिम्मेदार होगा। इस हेतु देय कानूनी फीस परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
33. यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता वितरण कार्य हेतु स्वंय उपस्थित नही हो सकता है तो राजफैड गैस प्रभारी को पूर्व में सूचित करते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में अन्य किसी दूसरे परिवहनकर्ता की व्यवस्था करेगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
34. गैस वितरण कार्य करने की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष की होगी। राजफैड द्वारा इस अवधि को 3 माह हेतु बढाया जा सकता है।
35. कार्य अवधि से पूर्व छोडने अथवा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
36. उक्त शर्तो की सहमति बाबत 500 रु.के नानॅ–ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर राजफैड के साथ स्वंय के खर्चो पर अनुबन्ध किया जाना होगा। मूल अनुबन्ध राजफैड के पास रहेगा एवं परिवहनकर्ता को उसकी फोटो प्रति दी जावेंगी।
37. अन्य नियम व शर्ते राजस्थान लोक उपापन मे पारदशिता नियम, 2013 के अधीन तथा आई.ओ.सी.एल की जारी गाईडलाईन के अनुसार होगी।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता

घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस एजेंसी से उपभोक्ता व खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से एजेंसी गोदाम तक के वितरण चार्ज के लिए परिवहन/वितरण की प्रस्तावित दरों हेतु वित्तीय बोली।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि,जयपुर

कार्य का विवरण............................

परिवहनकर्ता/ठेकेदार/फर्म का नाम ....

प्रस्तावित दर प्रति सिलेण्डर प्रस्तावित दर

विवरण	14.2 किग्रा(घरेलू)
सिलेण्डर गैस एजेंसी से उपभोक्ता को वितरण एवं खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से गैस एजेन्सी गोदाम तक पहुंचाने का कार्य परिवहन/वितरण दर (अक्षरों में)	अंकों में.......
	शब्दों में.......

(**) कृपया दर प्रस्तावित करने से पूर्व निम्न शर्तो को आवश्यक रुप से पढ कर एवं समझ कर आवेदन पत्र में दर प्रस्तावित की जावें। प्रस्तावित दर में कोई भी संशोधन/काट छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है प्रस्तावित दरों के अंको एवं शब्दो में अन्तर होने पर शब्दों में लिखी गयी दर को ही अंतिम माना जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

शर्त का विवरण संलग्न है:–

पी.टी.ओ

प्रस्तावित बिड़ की/दर हेतु शर्ते

1. परिवहनकर्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डरों को परिवहन एवं वितरण किए जाने की दरें प्रस्तावित किया जाना आवश्यक होगा।
2. घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु प्राप्त बिडदाताओं की प्रस्तावित वितीय दरों मे न्यूनतम दरों (एल–1) पर नेगोशियेशन कर (यदि आवशयक हो तो) समिति द्वारा निर्णय के आधार पर समस्त सफल बिड दाताओं को प्राप्त न्यून्तम दरों (एल–1) पर सिलेण्डरों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। अन्य बिडदाताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर न्यूनतम दरों पर इन फर्मों को कार्यादेश जारी किया जाएगाा।
3. घरेलू गैस सिलेण्डरो के ठेकेदारों को मासिक रुप से न्यूनतम 50 घरेलू सिलेण्डरों की आपूर्ति करना आवश्यक होगा।
4. वितीय बिड मे प्रस्तावित दरों के अतिरिक्त ठेकेदार फर्म को कोई भुगतान नही किया जाएगा।

हस्ताक्षर निविदादाता